

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या.- 9/लि0स0-10-01/2018.गृ0आ0...../ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस के क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (i) यह नियमावली 'बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2019' कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो -
(i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग;
(ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(iii) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना;
(iv) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है संवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं;
(vi) 'अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति' से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।
3. संवर्ग की संरचना।- लिपिकीय संवर्ग की संरचना निम्नानुसार होगी-

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

4. संवर्ग का स्तर एवं संवर्ग बल।- यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा एवं संवर्ग बल ऐसा होगा जो गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

5. भर्ती।— (क) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15 प्रतिशत पद पुलिस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के इण्टरमीडिएट योग्यताधारी सुयोग्य कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) कर्मियों से प्रोन्नति द्वारा राज्य वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जायेगा। सीधी भर्ती के 85 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

(ख) सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेंगी।

(ग) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक रिक्ति की सूचना पुलिस मुख्यालय को देगा।

(घ) सीधी भर्ती द्वारा निम्नवर्गीय लिपिक के भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आयोग को विहित प्रपत्र में एक अध्याचना भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या की सूचना दी जाएगी।

(ङ) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा।

(च) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार नियमानुसार अभ्यर्थी की नियुक्ति परीवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. अर्हता।— शैक्षणिक योग्यता— (i) निम्न वर्गीय लिपिक के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सभी कोटि के लिए 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

7. आरक्षण।— भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती।— (1) नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पुलिस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान रखने वाले सुयोग्य कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की वरीयता सूची तैयार करायेगा।

(2) प्रोन्नति राज्य वरीयता-सह-योग्यता के अनुसार पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा नामित पुलिस उप-महानिरीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. परीवीक्षा।— इस संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक कर्मी दो वर्षों के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परीवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति

प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन कर्मों में सुधार की गुजाईश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित कर्मों को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

10. लिपिकों की विभागीय परीक्षा।— (1) इस संवर्ग में नियुक्त लिपिकों की विभागीय परीक्षा का आयोजन तथा एतदर्थ विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, बिहार द्वारा किया जायेगा।

(2) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण निम्न वर्गीय लिपिक/उच्च वर्गीय लिपिक ही कार्यालय के लेखा संबंधी कार्यों के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किए जाएंगे।

11. प्रशिक्षण।— निम्न वर्गीय लिपिक का बुनियादी प्रशिक्षण 120 कार्यदिवसों का होगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन से निर्धारित किया जाएगा।

12. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा।— नवनियुक्त निम्न वर्गीय लिपिकों को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विभाग (राजभाषा) द्वारा आयोजित होने वाली हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही द्वितीय एवं अग्रतर वेतनवृद्धि देय होगी।

13. सम्पुष्टि।— परिवीक्षाधीन कर्मों की परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, विभागीय परीक्षा तथा बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए सक्षमता) नियमावली, 2011 के अनुसार कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद सम्पुष्टि किया जा सकेगा।

14. वरीयता।— संवर्ग के सदस्य की मूल कोटि में आपसी राज्य वरीयता की गणना आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बुनियादी प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के योग के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर आपसी वरीयता का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत वरीयता संबंधी निर्देश/आदेश के अनुरूप विनिश्चित की जाएगी, परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित कर्मियों की आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी :

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे। किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से वरीय होंगे।

15. प्रोन्नति।— (1) मूल कोटि से उच्चतर पंक्ति में प्रोन्नति निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा नामित पुलिस उप-महानिरीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर दी जाएगी। निम्नवर्गीय लिपिक की उच्चतर कोटि में प्रोन्नति के लिए कर्मों का सम्पुष्टि होना एवं निर्धारित कालावधि पूर्ण करना

आवश्यक होगा। कालावधि का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्पों के प्रावधानानुसार होगा।

16. स्थानांतरण।— इस संवर्ग के किसी भी कर्मी को एक जिला में अधिकतम 06 वर्ष एवं क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थानान्तरित किया जा सकेगा, परंतु कार्यहित एवं प्रशासनिक आधार पर आवश्यकतानुसार संवर्ग के कर्मियों को कभी भी किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। स्थानांतरण पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा किया जाएगा।

17. अवशिष्ट मामले।— ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हों, संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली/विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

18. कठिनाई का निराकरण।— गृह विभाग (आरक्षी शाखा) समय-समय पर विधि विभाग के परामर्श के बाद, ऐसा सामान्य या विशिष्ट निर्देश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

19. निर्वचन।— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा विधि विभाग के परामर्श के बाद, विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश (बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के संबंधित प्रावधान सहित) एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्पों/अनुदेशों में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

रंजन कुमार सिन्हा

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-9/लि0सं0-10-01/2018 गृ0 आ0- /पटना, दिनांक- 2019.

प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 250 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-9/लि0सं0-10-01/2018 गृ0 आ0- /पटना, दिनांक- 2019.

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-9/लि0सं0-10-01/2018 गृ0 आ0- /पटना, दिनांक- 2019.

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-9/लि0सं0-10-01/2018 गृ0 आ0- 8631/पटना, दिनांक- 16.10. 2019.

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक..... 34/पी0-5

17-01-02-2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक :- 21.1.2019

प्रतिलिपि:-

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक(रेल/सै0पु0/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस (एम0एम0पी0, आरा/म0स0वा0 सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त प्रशाखा/लेखा प्रशाखा/एल02 प्रशाखा/पी01 प्रशाखा (स्थापना), पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को अधिसूचना में निहित प्रावधान के आलोक में अग्रत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं वांछित बिन्दुओं के संबंध में कृत कार्रवाई से प्रशाखा पी05, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को भी ससमय अवगत कराया जाय।

21/1

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना

अभिमान